भाजपा मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्मचारियों से की बात

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई

प्रधानमंत्री ने सत्ता में लौटने के बाद कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के काम की सराहना की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से मुलाकात की। ये कर्मचारी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सक्रिय थे और आम जनता तक पार्टी का कामकाज पहुंचाने में लगे थे। यह बैठक देर शाम शुरू हुई और प्रधानमंत्री इन कर्मचारियों के कार्य अनुभव जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने सत्ता में लौटने के बाद कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के काम की सराहना की।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कर्मचारियों से एक लंबी और विस्तृत बातचीत की। इस बैठक में पार्टी मुख्यालय में तैनात क्लर्क, चपरासी समेत अन्य कर्मचारी शामिल थे, जो पार्टी मुख्यालय की व्यवस्था और प्रबंधन का कार्य देखते हैं। भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कर्मचारियों से हुई इस मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में मोदी पार्टी कक्ष के अंदर कर्मचारियों से बातचीत करते नजर आए।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि जब वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत हुई थी, इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने पार्टी मुख्यालय का दौरा किया था और कर्मचारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को कर्मचारियों के साथ औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है।

कांग्रेस ने गोंडा रेल हादसे पर साधा निशाना, कहा

प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को लेनी चाहिए खामी की जिम्मेदारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का पटरी से उतरना इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे मोदी सरकार ने रेल सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। हम शोकसंतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में ट्रेन हादसे के बाद गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भारतीय रेल में भारी चूक की सीधी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गुरुवार को चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक ट्रेन के आठ डिब्बे मोतीगंज तथा झिलाही रेलवे स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गए। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई तथा 34 अन्य घायल हो गए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का पटरी से उतरना इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे मोदी सरकार ने रेल सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। हम शोकसंतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।

उन्होंने कहा कि एक महीने पहले एक मालगाड़ी के सियालदह-अगरतला कंचनजंघा एक्सप्रेस से टकरा जाने से 11 लोगों की जान चली गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि स्वचालित सिग्नल की विफलता, संचालन के प्रबंधन में कई स्तरों पर खामियां और लोको पायलट तथा ट्रेन प्रबंधक के पास वाकी-टाकी जैसे महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता जैसे कुछ कारण जांच रिपोर्ट में टक्कर की वजह बताए गए हैं। खरगे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके रेल मंत्री, जो आत्म-प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, ऐसे में उन्हें भारतीय रेलवे में हुई भारी चूक की सीधी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि उन्नत सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारत भर में सभी मार्गों पर 'कवच' प्रणाली को शीघ्रता से स्थापित किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि गोंडा, यूपी में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने की वजह से कई लोगों की मृत्यु का समाचार बेहद दुखद है। प्रभु दिवंगत आत्माओं को शांति दें। शोकसंतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले।

केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकों की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने इस कदम का विरोध किया और कहा कि कानून सभी के लिए समान है।

आप नेता के वकील ने कहा कि वह देशभर में कई मामलों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के लिए उन्हें इन मामलों पर चर्चा के लिए वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकें करने की जरूरत है। केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दलील दी कि ऐसे कई कैदी हैं जिनके खिलाफ 100 मामले लंबित हैं और उन्हें अपने वकीलों से केवल दो बार मुलाकात की अनुमति है। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल वकीलों के साथ अपनी बैठकों का इस्तेमाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों को निर्देश भेजने के लिए कर रहे थे। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि वह आदेश सुरक्षित रख रही हैं।

प्रदर्शन — जम्मू में गुरुवार को आतंकवाद के खिलाफ विरोध रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकते हुए पुलिस।

एमएसएमई के लिए मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा दोगुनी करे सरकार : विशेषज्ञ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

नवीन सैनी ने संभावना जताई कि सरकार एमएसएमई के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी।

देश में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने सहित इसे प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

लागत में कटौती और उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए उत्पादक सहकारी समितियों के जरिए कच्चे माल तक आसान पहुंच की सुविधा मुहैया करने की जरूरत है। विशेषज्ञों ने बजट से पहले अपने सुझाव में ये बातें कहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 23 जुलाई को 2024-25 का बजट पेश करेंगी।

बजट को लेकर उम्मीदों पर अरका फिनकैप के मुख्य कारोबार अधिकारी (खुदरा और एमएसएमई) नवीन सैनी ने संभावना जताई कि सरकार एमएसएमई के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि ''इसे हासिल करने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत कर्ज सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने समेत एमएसएमई के लिए असुरक्षित माने जाने वाले ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए करने पर विचार करना चाहिए।

सैनी ने कहा कि ये उपाय एमएसएमई को आवश्यक वित्तीय संसाधनों तक अधिक पहुंच प्रदान करेंगे और इससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी) की संस्थापक एवं प्रबंध ट्रस्टी लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्यम हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में सरकार को इस क्षेत्र के लिए सहायक नीतियां पेश करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम), सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेज) और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से वित्त तक आसान पहुंच शामिल हो।

उन्होंने कहा कि उन विनिर्माण इकाइयों के लिए कर प्रोत्साहन की जरूरत है जिनका सालाना कारोबार एक करोड़ रुपए से कम है। वेंकटेशन ने उम्मीद जताई कि यह बजट हमारे एमएसएमई की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा और समृद्ध भविष्य के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। विशेषज्ञ अमित प्रसाद ने कहा कि जो एमएसएमई आइपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) सृजित करने पर केंद्रित हैं, उनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने के लिए कोई औपचारिक वित्तपोषण प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने कहा कि आईपीआर आधारित संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें नए कारोबार के विकास को लक्ष्य देना हमारे देश के लिए उल्लेखनीय कदम साबित हो सकता है।

सुधार — कृषि सांख्यिकी सुधार की योजना में पंजाब शामिल

केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य के मंत्री को सौंपा स्वीकृति पत्र

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

कीनू समेत बागवानी फसलों को करें प्रोत्साहित : चौहान

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि किसानों को ड्रैगन फ्रूट, कीनू सहित बागवानी व दूसरे फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि पराली की समस्या कम होने सहित किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सके। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में केंद्रीय मंत्री चौहान ने केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि दूसरे राज्यों की तरह पंजाब को भी पर्याप्त खाद-बीज की आपूर्ति होती रहेगी। केंद्र इस संबंध में पूरी तरह गंभीरता से काम कर रहा है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ क्रमवार बैठकों की कड़ी में गुरुवार को कृषि भवन में पंजाब के कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, डेयरी विकास और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां के साथ बैठक हुई।

इस दौरान पंजाब में खेती-किसानी के विकास को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री पंजाब की ओर से रखे गए राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण से संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रालय की ओर से स्वीकृति पत्र पंजाब के मंत्री को सौंप दिया। पंजाब को राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण (एसएएसए) संबंधित स्वीकृति का जो पत्र केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से दिया गया है, उसके अनुसार कृषि सांख्यिकी में सुधार (आईएएस) योजना में पंजाब को शामिल करते हुए एसएएसए के तहत परियोजना निगरानी इकाई स्थापित करने की अनुमति दी है।

इस योजना के तहत आईएएस के कार्यों में शामिल कर्मचारियों के लिए 100 फीसद वित्तीय सहायता के साथ धनराशि जारी की जाती है। यह पहल कृषि सांख्यिकी प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

खबर कोना

ठाने में अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

ठाणे, 18 जुलाई (भाषा)।

ठाणे पुलिस ने शेयर कारोबार से जुड़ी धोखाधड़ी तथा अन्य साइबर अपराधों के लिए कंबोडिया, दुबई और चीन जैसे स्थानों पर ठगों को सिम कार्ड मुहैया कराने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ठाणे के पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध और आर्थिक अपराध शाखा) पराग मनेरे ने बुधवार को बताया कि इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से दो छत्तीसगढ़ से और एक दिल्ली से है और उनके पास से पूर्व-सक्रिय 779 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस को शक है कि करीब तीन हजार सिम कार्ड का इसी तरह इस्तेमाल किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में दर्ज 16 मामलों की जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि ये अपराध वाट्सऐप के जरिए किए जा रहे थे, जिसमें 30 मोबाइल फोन और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और अन्य जगहों से सक्रिय करीब 2,600 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था।

हत्या के मामले में अभिनेता दर्शन व 16 अन्य लोगों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

बंगलुरु, 18 जुलाई (भाषा)।

बंगलुरु की एक विशेष अदालत ने रेणुका स्वामी हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीप के साथ-साथ उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों की न्यायिक हिरासत गुरुवार को एक अगस्त तक के लिए बढ़ा दी। दर्शन और पवित्रा समेत सभी 17 आरोपियों की आज (गुरुवार) न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें बंगलुरु और तुमकुर जेलों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने दलील दी कि आरोपियों को रिहा करने से जारी जांच में बाधा हो सकती है क्योंकि और अधिक जानकारी जुटाए जाने की जरूरत है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने तकनीकी और वैज्ञानिक तथा मूल सबूतों को नष्ट करने का कथित प्रयास किया, जो कानून का अपमान है। अभियोजक ने बताया कि आरोपी के पास से 83.65 लाख की नकदी जब्त की गई, साथ ही अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अलग-अलग नाम पर पंजीकृत मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल कर विभिन्न लोगों से बात की।

राजस्थान का इनामी बदमाश इटली में गिरफ्तार : पुलिस

जयपुर, 18 जुलाई (भाषा)।

राजस्थान में वांछित एक इनामी बदमाश को इटली की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे भारत लाने की कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी। राजस्थान पुलिस के 'एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स' (एजीटीएफ) के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि इनामी बदमाश अमरजीत विश्नोई को इटली के सिसली शहर में गिरफ्तार किया गया है। उस पर राजस्थान में 50 हजार रुपए का इनाम है। उन्होंने बताया कि अमरजीत गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य है जिसके खिलाफ राजस्थान के विभिन्न थानों में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उसके इटली के तरपानी कस्बे में होने की जानकारी के सत्यापन के लिए केंद्रीय एजंसी के माध्यम से 'रेफरेंस लेटर' जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना पर बदमाश अमरजीत विश्नोई को आठ जुलाई को इटली के तरपानी से वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि एजीटीएफ द्वारा उसे भारत लाने के लिये प्रत्यर्पण से जुड़ी कार्यवाही की जा रही है।

एक्सिस बैंक लिमि. AXIS BANK LTD.
पंजीकृत कार्यालय : त्रिशूल, 3रातल, समर्थेश्वर टेम्पल के सामने, न्यू लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006
सर्किल कार्यालय : 1 प्लॉट नं. 25, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

शाखा के पुनस्थापन के लिए सूचना

शाखा का नाम	पुराना पता	नया पता	पुनर्स्थापन की तिथि
शाहदरा	भूतल तथा प्रथम तल, पार्श्वनाथ मेट्रो टावर, शाहदरा मेट्रो स्टेशन के निकट, दिल्ली-110032	भूतल तथा प्रथम तल, प्लॉट नं. 129-167, खसरा नं. 441, 981/440, रेलवे स्टेशन रोड के निकट, मैन जीटी रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032	16.9.2024

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
Regional Office - Etawah | क्षेत्रीय कार्यालय - इटावा

टेंडर नोटिस
क्षेत्रीय कार्यालय, इटावा : 125, सिविल लाइंस, नियर ममता नर्सिंग होम, बलराम सिंह चौराहा इटावा, उत्तर प्रदेश-206001

कार की बिक्री हेतु सूचना
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय इटावा द्वारा "जहां है जैसी है "के आधार पर कार की बिक्री की जानी है।

टाटा-इंडिका विस्टा - DL3CBB3077 (Model 2011)
टाटा-सूमो गोल्ड- UP75R2268 (Model 2012)
टाटा-सूमो गोल्ड- UP79F5154 (Model 2012)

प्राप्त करने की अंतिम तिथी 09.08.24 है। विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट http://centralbank.co.in पर देखें।
Date:18.07.2024 — क्षेत्रीय प्रमुख

NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING TENDER
NMC has decided to develop the Orange City Street Project at Nagpur on the stretch starting from Wardha Road up to Jaitala, Nagpur. Currently NMC proposes to develop as a component of this Orange City Street Project, a Mixed-Use Complex at Plot No. 4 of the Orange City Street Project along the Khamla-Jaitala Road. NMC plans to implement this Project on Public Private Partnership (PPP) mode through the Design-Build-Finance-Operate and Sale (DBFOS) model wherein the prospective developer shall undertake the Designing, Financing, Construction, Operation & Maintenance and Sales of the entire project. NMC is therefore calling for proposals from established Infrastructure Developers to be appointed as the Developer for this prestigious project.

Bidding Process Timelines

Sr. No.	Event Description	Date
1	RFP Sale	19/07/2024 to19/08/2024 till 5 p.m.
2	Last Date of submission of written queries by prospective bidders	30/07/2024 till 3.00 p.m.
3	Pre-Bid Meeting	30/07/2024 at 4.00 p.m.
4	NMC's response to written queries raised & issuance of corrigendum/ Agenda if any.	05/08/2024 at 5.00 p.m.
5	RFP Online Submission End Date/ Hard Copy Submission End Date	19/08/2024 till 5.00 p.m.
6	Financial Proposal Opening	Shall be intimated to the technically qualified bidders.
7	Earnest Money Deposit /Bid Security	Rs 60, 00, 000/- (Rupees Sixty Lacs only).
8	Tender Fees (Non-Refundable)	Rs 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) plus applicable GST.

Note : NMC reserves the right to alter, modify any clause of the Bidding Documents including the Development Agreement and also to annul the bidding process without assigning any reason whatsoever.
Advt No : 163/PR, Dt : 18/07/2024 — Executive Engineer (Project) Nagpur Municipal Corporation.

जनसत्ता क्लासीफाइड

PUBLIC NOTICE
That our clients Sh. Punit Jain and his wife Smt. Kavita Jain both are R/o House No.53-54, Pocket-6, Sector-25, Rohini, Delhi-110085, debarred their Son Sh. Shubham Jain and daughter in-law Smt. Anushka Jain W/o Sh. Shubham Jain with respect to all movable and immovable properties and inheritance of our clients, Sh. Shubham Jain and Smt. Anushka Jain have already left our clients and living separately, our clients have severed all relations with them and our clients are not responsible for their any acts or commitments and Smt. Anushka Jain is also threatening our clients for stuck in false and fabricated dowry cases. For, Shekhawati Legal Services Pramod Agarwal, Advocate, Mobile-9810682372

PUBLIC NOTICE
This to inform public at large that my clients Sh. Subhash Juneja his Wife Seema Juneja R/o E-46 Amar Colony Lajpat Nagar-IV, New Delhi 24. Disown their Son Saurabh Juneja, his Wife Ritika Juneja And their Minor Daughter Meher, due their act of disobedience, and as my clients lost their Control over them and accordingly sever all their relations, whereby disinherit/disentitle them from claiming any share in the movable /immovable assets hold possessed and owned by my clients, That my clients further declare that they do not hold any responsibility of the act conduct of them and anybody deals with them at their own risk and responsibility.
Sd/- Vipin Kumar Saini Advocate Off.: B-62 (Beasement) Dayanad Colony, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-24

PUBLIC NOTICE
"Public in general, is hereby informed that my client Smt. Sapna Behl W/o Lt. Satish Behl R/o 3/11, First Floor, Ashok Nagar New Delhi-18, have severed all their relations and connection With their son "Sh. Mohit Behl and his wife Priya Behl and their Daughter Deetya Behl debarred them from all their movable and Immovable properties as they have proved to be most disrespectful, Disobedient, Threatening and harmful toward my client, My client and their family member shall not be Responsible for their activities."
Sd/- Kamal Jeet Singh Advocate Office: 3/118, First Floor, Subhash Nagar, New Delhi-110027

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किलगण; (1) श्री राकेश कुमार खन्ना, सुपुत्र स्व. श्री राज कुमार खन्ना, और (2) श्रीमती नीलम खन्ना, पत्नी श्री राकेश कुमार खन्ना, निवासी मकान नं जी-53, पुष्कर एन्क्लेव, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063, ने अपने पुत्र करन खन्ना और उसकी पत्नी दिव्या खन्ना (जो अब उनके साथ नहीं रहती) को उसके गलत आचरण, दुर्व्यवहार करने तथा नियंत्रण से बाहर होने के कारण, उन दोनों से अपने सभी प्रकार के पारिवारिक संबंध विच्छेद करते हुए उन्हें अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और आज के बाद मेरे मुवक्किलगण उनके किसी भी अच्छे बुरे कार्य या लेन-देन के लिए जिम्मेदार नहीं होगें।
हस्ता/- MUKUL GIRDHAR & ASSOCIATES ADVOCATES AND LEGAL ADVISORS C-33, G.F. MANSA RAM PARK, NEW DELHI-110059

PUBLIC NOTICE
My Clients Naresh Kumar S/o Late Sh. Om Parkash & his wife Sneh Lata W/o Sh. Naresh Kumar both R/o Flat No.604, Maitri Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-85 have Severed their relations with their Son Suyash Garg & his Wife Meghna Garg. They Disown and Disallow both of them from their Movable/ Immovable Properties, any past and future liability, As they are Independent and beyond their Control. Anybody may deal with them at their own Risks. My Clients Shall not be responsible for any act.
Sachin Kumar (Advocate) RU-6, Pitampura, Delhi

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 501, सॉलकन ऑरम, जसोला जनपद केन्द्र, नई दिल्ली — 110025
सीआईएन : यू65900डीएल2020पीएलसी366027

नीलामी सूचना
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित ऋणकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा बैंक से प्राप्त किए गए स्वर्ण ऋण / ऋणानेक जो हैं वे बैंक द्वारा निर्गत व्यक्तिगत सूचनाओं सहित अनेक मांगों एवं सूचनाओं के बाद भी उनके द्वारा समायोजित नहीं किए गए हैं। समस्त ऋणकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में रखे गए स्वर्णाभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है तथा तद्नुसार 29-07-2024 को अप. 03.00 बजे उन शाखा परिसरों में नीलामी की तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है जहां से ऋण प्राप्त किया गया था / किए गए थे। ऋणकर्ताओं सहित समस्त सर्वसाधारण, खाताधारक और जनसाधारण नीलामी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार इस नीलामी में प्रतिभागिता कर सकते हैं।

शाखा	खाता संख्या	खाताधारक का नाम	पिता / पति-पत्नी का नाम	पता	खाता खोलने की तिथि	पेऑफ
सूरत	103842510218	नवीन सिंह	पुत्र राजेश सिंह	भतौली महाराजगंज, गोथावा जौनपुर, उत्तर प्रदेश 222145	16/02/2024	112,470.5
सूरत	103842510058	नवीन सिंह	पुत्र राजेश सिंह	भतौली महाराजगंज, गोथावा जौनपुर, उत्तर प्रदेश 222145	02/01/2024	47,035.7
गाजियाबाद	101542514124	विनय	पुत्र शशिकांत	उमराहा, त्रिलोकपुर संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश 221314	16/03/2024	21,527.9

नीलामी तिथि 29-07-2024 को अप. 03.00 बजे है
बैंक के पास बिना कोई पूर्व सूचना दिये नीलामी से किसी खाता को समाप्त करने अथवा नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड